



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

वीरवार, 03 अक्टूबर, 2024 / 11 आश्विन, 1946

हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा

अधिसूचना

दिनांक, 01 अक्टूबर, 2024

सं०: वि०स०-विधायन-नियम समिति/1-15/2023.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रकिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम, 209 और 211 के अनुसरण में माननीय अध्यक्ष महोदय ने 142-राजपत्र/2024-03-10-2024 (6697)

वर्ष 2024-2025 के लिए आगामी आदेशों तक याचिका समिति का गठन करते हुए निम्नलिखित माननीय सदस्यों को नामांकित किया है। समिति की बैठकें माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्धारित की जाएगी:—

1. याचिका समिति		
1.	माननीय अध्यक्ष	सभापति
2.	श्री सतपाल सिंह सत्ती	सदस्य
3.	श्रीमती रीना कश्यप	सदस्य
4.	श्री चन्द्र शेखर	सदस्य
5.	सुश्री अनुराधा राणा	सदस्य

हस्ताक्षरित /—
सचिव,
हि0प्र0 विधान सभा।

राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश
STATE ELECTION COMMISSION HIMACHAL PRADESH
आमजडेल शिमला-171002 Armsdale, Shimla-171002, Tel. 0177-2620152, 2620159, 2620154, Fax. 2620152
secysec-hp@nic.in

अधिसूचना

Dated the 1st October, 2024

No. SEC (F)2-10/2022-4114.—यतः राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243ZA, हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 9 के साथ पठित हिमाचल प्रदेश नगर निगम निर्वाचन नियम, 2012 के नियम 33 की अनुपालना में नगर निगम सोलन के उप-निर्वाचन करवाने हेतु अधिसूचना संख्या SEC (F)2-10/2022, दिनांक 03-09-2024 अनुसार निर्वाचन कार्यक्रम जारी किया गया था;

यतः अब नगर निगम सोलन के उप-निर्वाचन करवा लिए गये हैं तथा उक्त नियमावली के नियम 80 (6) के अन्तर्गत रिटर्निंग अधिकारी एवं उपायुक्त सोलन से रिटर्न प्ररूप-44 पर आयोग में प्राप्त हो गयी है;

अतः राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 13 की अनुपालना में नगर निगम सोलन के लिए निर्वाचित पार्षद का नाम व पता निम्नानुसार अधिसूचित करता है:—

क्रम सं०	वार्ड की संख्या व नाम	आरक्षण	निर्वाचित पार्षद का नाम व पता
1.	5-लोअर बाजार	अनारक्षित	श्री अमर दीप, रतन निवास, लोअर बाजार सोलन, हिमाचल प्रदेश।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित /—
(अनिल कुमार खाची),
राज्य निर्वाचन आयुक्त हिमाचल प्रदेश।

राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश

STATE ELECTION COMMISSION HIMACHAL PRADESH

आमर्जडेल शिमला-171002 Armsdale, Shimla-171002, Tel. 0177-2620152, 2620159, 2620154, Fax. 2620152
secysec-hp@nic.in

अधिसूचना

Dated, the 1st October, 2024

No. SEC (F)2-10/2022-4114.—Whereas the State Election Commission has issued election programme under Article 243ZA of Constitution of India, Section 9 of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 read with Rule 33 of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Election Rules, 2012 *vide* Notification No. SEC (F)2-10/2022, dated 03-09-2024 for the conduct of By-elections to Ward No.5 Lower Bazar of Municipal Corporation Solan;

And whereas, now the election has been conducted and the Return of Election on Form-44 has been received from the Returning Officer-cum-Deputy Commissioner Solan as required under Rule 80 (6) of the *ibid* Rules;

Therefore, the State Election Commission, in exercise of the powers vested in it under Section 13 of the Municipal Corporation Act, 1994, hereby publishes the name and address of the newly elected Councillor of the Municipal Corporation Solan as under:—

Sr. No.	No. & name of Wards	Reservation Status	Name & address of the elected Councillor
1.	5-Lower Bazar	Unreserved	Shri Amar Deep, Rattan Niwas Lower Bazar Solan, H.P.

By order,

Sd/-

(Anil Kumar Khachi),

State Election Commissioner,

Himachal Pradesh.

राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश

STATE ELECTION COMMISSION HIMACHAL PRADESH

आमर्जडेल शिमला-171002 Armsdale, Shimla-171002, Tel. 0177-2620152, 2620159, 2620154, Fax. 2620152
secysec-hp@nic.in

अधिसूचना

Dated the 1st October, 2024

No. SEC (F)2-10/2022-4120.—यतः राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243ZA, हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 281 के साथ पठित हिमाचल प्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 2015 के नियम 35 की अनुपालना में नगर परिषद् सुजानपुर, जिला हमीरपुर व नगर परिषद् नेरचौक, जिला मण्डी के उप-निर्वाचन करवाने हेतु अधिसूचना संख्या SEC (F)2-10/2022- दिनांक 03-09-2024 अनुसार निर्वाचन कार्यक्रम जारी किया गया था;

यतः उपरोक्त दोनों नगरपालिकाओं के उप-निर्वाचन के परिणाम सम्बन्धित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा घोषित किए जा चुके हैं;

अतः राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 की धारा 27 (2) हिमाचल प्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 2015 के नियम 80 की अनुपालना में नगर परिषद् सुजानपुर व नगर परिषद् नेरचौक के लिए नव-निर्वाचित सदस्यों के नाम व पता निम्नानुसार अधिसूचित करता है:-

क्रम सं०	आरक्षण	वार्ड की संख्या व नाम	नगरपालिका का नाम	निर्वाचित पार्षद का नाम व पता
1.	अनारक्षित	वार्ड नं० 7	नगर परिषद्, सुजानपुर	श्रीमती नीरजा ठाकुर, वार्ड नं० सुजानपुर टीहरा, जिला हमीरपुर, हि०प्र०
2.	अनुसूचित जाति महिला	वार्ड नं० 9	नगर परिषद्, नेरचौक	श्रीमती गीता देवी पत्नी आकेश कुमार, गांव डडौर, डाकघर धाबन, तहसील बल्ह, जिला मण्डी, हि०प्र०।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित /—
(अनिल कुमार खाची),
राज्य निर्वाचन आयुक्त हिमाचल प्रदेश।

राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश

STATE ELECTION COMMISSION HIMACHAL PRADESH

आमजंडेल शिमला-171002 Armsdale, Shimla-171002, Tel. 0177-2620152, 2620159, 2620154, Fax. 2620152
secysec-hp@nic.in

अधिसूचना

Dated the 1st October, 2024

No. SEC (F)2-10/2022-4120.— Whereas in pursuance to Notification No. SEC (F)2-10/2022, dated 03-09-2024 issued under Rule 35 of the Himachal Pradesh Municipal Election Rules, 2015, by-elections have been held to fill up the casual vacancies in Municipal Council Sujapur, District Hamirpur and Municipal Council Nerchowk, District Mandi;

And whereas, the result of the said by-election have been declared by the Returning Officers concerned;

Now, therefore, in pursuance to Section 27(2) of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 read with Rule 80 of the *ibid* Rules, the State Election Commission hereby notifies the names of the elected members of the Municipal Council Sujapur, and Nerchowk, as per detail below:—

Sl. No.	Reservation Status	No. of Ward	Name of Municipal Council	Name & address of the elected Councillors
1.	Unreserved	7	Municipal Council Sujapur.	Smt. Neerja Thakur, Ward No.7, Sujapur Teehra, District Hamirpur, H.P.
2.	Scheduled Caste Women	9	Municipal Council Nerchowk .	Smt. Geeta Devi w/o Sh. Akesh Kumar, Village Dadour, P.O. Dhaban, Tehsil Balh, Distrit Mandi, H.P.

By order,
Sd/-
(Anil Kumar Khachi),
State Election Commission,
Himachal Pradesh.

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : /तहसील/रीडर/2024

तारीख पेशी : 21-10-2024

नीमा देवी पुत्री भगत सिंह, निवासी मुहल्ला/गांव ओहली, डा0 कुपाहडा, तहसील व जिला चम्बा,
हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत कुपाहडा, विकास खण्ड मैहला

विषय.—जन्म/मृत्यु सम्बन्धित पंजीकरण बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या-3484/2024, दिनांक 08-08-2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024/14326, दिनांक 31-07-2024, शपथ-पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थिया नीमा देवी पुत्री भगत सिंह, निवासी मुहल्ला/गांव ओहली, डा0 कुपाहडा, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि 01-07-1970 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत कुपाहडा के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है जो नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है इसलिए आवेदिका ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत कुपाहडा के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया नीमा देवी पुत्री भगत सिंह, निवासी मुहल्ला/गांव ओहली, डा0 कुपाहडा, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी जन्म तिथि 01-07-1970 को ग्राम पंचायत सिल्लाघाट के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया की जन्म तिथि 01-07-1970 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

